दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

मो.दु.दा.अ. 704/2010

<u>निर्णय की तिथि: 8 मई, 2014</u>

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड .....अपीलकर्ता

के माध्यम से: सुश्री नीरजा सचदेवा, अधिवक्ता

बनाम

अश्विनी कुमार व अन्य .....प्रत्यर्थी

के माध्यम सेः श्री अमित कौशिक, अधिवक्ता।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

<u>न्या. सुश्री दीपा शर्मा, (मौखिक)</u>

1. इस मामले में बीमा कंपनी द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2010 के निर्णय को संक्षिप्त चुनौती दी गई है। दिनांक 25 अगस्त, 2010 के इस निर्णय के तहत विद्वान अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ था, क्योंकि दुर्घटना के समय तिपहिया रिक्शा के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। परिणामस्वरूप, विद्वान अधिकरण ने

अपीलकर्ता को वसूली के अधिकार प्रदान किए थे। अपीलकर्ता को दिए गए इन वसूली अधिकारों के विरुद्ध ही अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष आया है तथा उसने तर्क दिया है कि दावेदार को भुगतान करने का दायित्व, दोषी वाहन के चालक और मालिक पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि दिनांक 8 नवम्बर, 2001 को रात्रि लगभग 9.30 बजे नाला के निकट एसटीडी बूथ, हडसन लाइन के सामने दुर्घटना घटित हुई थी। उस समय घायल/दावेदार अश्विनी कुमार अपनी मोटर साइकिल सं.बीआर-15/ए-0102 पर सामान्य गति से जा रहे थे और एक तिपहिया वाहन (तिपहिया रिक्शा) सं. डीएल-1आर-डी-9572, जो तेजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था, ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दावेदार/घायल सड़क पर गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं। उन्होंने मो.दु.दा.अ. सं. 654/2006 के तहत दावा याचिका दायर की, जिसमें उन्हें संस्था की तिथि से वास्तविक जमा की तिथि तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 1,38,750/- रुपये का मुआवजा दिलाने का आदेश दिया गया। अधिकरण ने कहा था कि दुर्घटना, दोषी वाहन अर्थात् तिपहिया रिक्शा द्वारा तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी।

3. दावेदार के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। अपील का नोटिस प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 4, तिपहिया रिक्शा के चालक और

मालिक को भी जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने वर्तमान अपील का विरोध नहीं किया है।

4. मैंने दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

5. अपीलकर्ता ने अधिकरण के उस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है, जिसके तहत दुर्घटना के लिए तिपहिया रिक्शा को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसलिए इस संबंध में अधिकरण का निष्कर्ष अंतिम है।

6. इस मामले में कानून बहुत स्पष्ट है। यह स्थापित सिद्धांत है कि मो.दु.दा.न्या. अधिनियम के तहत मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी संयुक्त और अलग-अलग है। ***सोहन लाल पासी बनाम पी शेष रेड्डी*** नामक मामले में, जिसे ***II (1996) एसीसी 617*** के रूप में रिपोर्ट किया गया, न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 96 (2)(ख)(ii) का उल्लेख करते हुए अभिनिर्धारित किया कि इस धारा की व्याख्या तकनीकी तरीके से नहीं की जा सकती है और यह केवल बीमा कंपनी को उप-धारा (2) में उल्लिखित आधारों पर मुआवजा देने के दायित्व का बचाव करने में सक्षम बनाती है, जिसमें यह भी शामिल है कि शर्त का उल्लंघन हुआ है, जिसमें वाहन को ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जाना शामिल नहीं है, जिसके पास विधिवत लाइसेंस नहीं है। उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत है:

"12.....हमारे अनुसार, धारा 96(2)(ख)(ii) की व्याख्या तकनीकी तरीके से नहीं की जानी चाहिए। धारा 96 की उपधारा (2) बीमा कम्पनी को उपधारा (2) में उल्लिखित किसी भी आधार पर प्रतिकर का भुगतान करने के दायित्व के संबंध में स्वयं का बचाव करने का अधिकार देती है, जिसमें यह भी शामिल है कि शर्त का उल्लंघन हुआ है, जिसमें वाहन को ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जाना शामिल नहीं है जिसके पास विधिवत् लाइसेंस नहीं है। यह प्रतिबंध प्रथम दृष्टया बीमाकृत व्यक्ति पर लागू होता है। यदि वाहन का बीमा करवाने वाले व्यक्ति ने वाहन को ऐसे व्यक्ति को चलाने की अनुमति दी है जिसके पास विधिवत लाइसेंस नहीं है, तो केवल वही धारा लागू होगी। ऐसे मामले में जहां व्यक्ति ने बीमा कंपनी के साथ वाहन का बीमा नहीं कराया है, उसने विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक को नियुक्त किया है और यदि दुर्घटना उस समय होती है जब वाहन को ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है जिसके पास वाहन चलाने के लिए विधिवत प्राधिकृत चालक के प्राधिकार के आधार पर विधिवत लाइसेंस नहीं है, तो क्या उस स्थिति में बीमा कंपनी अपने दायित्व से मुक्त होगी? धारा 96(2)(ख) में आने वाले शब्द "उल्लंघन" का अर्थ है किसी वादे या दायित्व का अतिक्रमण या उल्लंघन। ऐसे में बीमा कंपनी को यह साबित करना होगा कि बीमाधारक ने किसी वादे का अतिक्रमण या उल्लंघन किया है। बीमाकर्ता को

अधिकरण या न्यायालय को यह भी संतुष्ट करना होगा कि बीमाकृत व्यक्ति की ओर से ऐसा उल्लंघन या अतिक्रमण जानबूझकर किया गया था, यदि बीमाकृत व्यक्ति ने प्रश्नगत वाहन चलाने के लिए विधिवत् लाइसेंसधारी चालक को नियुक्त करके सभी सावधानियां बरती हैं और यह सिद्ध नहीं हुआ है कि बीमाकृत व्यक्ति ने ही वाहन को ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाने की अनुमति दी थी जिसके पास विधिवत् लाइसेंस नहीं था, तो बीमा कंपनी धारा 96 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपने वैधानिक दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती है। वर्तमान मामले में यह स्थापित करना तो दूर की बात है कि यह अपीलकर्ता ही था जिसने दुर्घटना के समय राजिंदर पाल सिंह को वाहन चलाने की अनुमति दी थी, यहां तक कि यह भी आरोप नहीं है कि यह अपीलकर्ता ही था जो इस शर्त का उल्लंघन करने का दोषी था कि वाहन को ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया जाएगा जिसके पास विधिवत लाइसेंस नहीं है। मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ किया है, क्योंकि उसने एक लाइसेंसधारी ड्राइवर गुरुबचन सिंह को नियुक्त किया है तथा वाहन को उसके जिम्मे दिया है। बीमा अनुबंध की व्याख्या करते समय न्यायाधिकरणों और न्यायालयों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि दुर्घटना के पीड़ितों के उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा मुआवजे

का दावा करने का अधिकार तकनीकी आधार पर पराजित नहीं होता है। जब तक अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि यह बीमाधारक ही था जिसने दुर्घटना होने पर विधिवत् लाइसेंस प्राप्त न होने वाले व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देकर पॉलिसी की शर्त का जानबूझकर उल्लंघन किया था, तब तक अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) के दृष्टिगत बीमाकर्ता को दायित्व के संबंध में निर्णय-ऋणी माना जाएगा.....''

7. हाल ही में ***एस. अय्यपन बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** नामक फैसले में, जिसे ***2013 एसीजे 1944*** के रूप में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से उसी सिद्धांत को दोहराया है और पैरा 18 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"...18. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 और 147 के प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कुछ परिस्थितियों में बीमाकर्ता की वाहन सुरक्षित रहती है, लेकिन किसी भी स्थिति में वैध बीमा प्रमाणपत्र जारी होने पर बीमाकर्ता को मुआवजा देना ही पड़ता है, भले ही बीमाकर्ता राशि की वसूली के लिए बीमित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 के अंतर्गत, बीमाकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ निम्न आधारों पर मामले का बचाव कर सकता है, अर्थात, (i) वाहन किसी नामित व्यक्ति

> द्वारा नहीं चलाया जा रहा था, (ii) इसे ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास विधिवत लाइसेंस नहीं था, और (iii) वाहन चलाने वाला व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस रखने और प्राप्त करने के लिए अयोग्य था। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, बीमाकर्ता इस आधार पर अपने दायित्व से इन्कार नहीं कर सकता कि यद्यपि चालक के पास हल्के मोटर वाहन को चलाने का लाइसेंस था, लेकिन वाणिज्यिक वाहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले हल्के मोटर वाहन को चलाने से पहले, ड्राइविंग लाइसेंस में वाणिज्यिक वाहन चलाने का कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। किसी भी मामले में, बीमाकर्ता से मुआवज़े की राशि वसूलना तीसरे पक्ष का वैधानिक अधिकार है। यदि बीमा पॉलिसी की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है तो बीमाकर्ता को राशि की वसूली के लिए बीमित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी।''

8. यह स्थापित कानून है कि पॉलिसी के तहत तीसरे व्यक्ति को भुगतान करने का दायित्व बीमा कंपनी का है और बीमा कंपनी को केवल बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करने वालों से ही दी गई राशि वसूलने का अधिकार दिया जा सकता है। विद्वान अधिकरण के निर्णय में कोई कमी नहीं है।

9. अपील को आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

10. दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को इस न्यायालय ने सि.वि. सं. 18960/2010 पर विचार करते हुए अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह सम्पूर्ण

अधिनिर्णय की राशि को अद्यतन ब्याज सहित न्यायालय के महानिबंधक के पास जमा कराए तथा 50% राशि दावेदार के पक्ष में जारी करे। यदि इस न्यायालय के महानिबंधक के पास कोई शेष राशि पड़ी है तो उसे दावेदार/घायल को जारी कर दिया जाए।

11. अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई वैधानिक राशि भी उसके पक्ष में जारी की जाती है।

12. अपील का निपटान उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

न्या. दीपा शर्मा,

08 मई, 2014
जे

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*